राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 611/2022

1. पुष्पेंद्र कुमारी पत्नी स्व. श्री गुमान सिंह जी, उम्र लगभग 75 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी 6, डिफेंस लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर (राज.)।
2. करणी सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री गुमान सिंह जी, उम्र लगभग 56 वर्ष, रिद्धि सिद्धि भवन 2 ए, रक्षा लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर (राज.)।
3. श्रीमती. दरहसिनी सिंह पत्नी करणी सिंह बहती, उम्र 53 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी रिद्धि सिद्धि भवन, 2-ए, डिफेंस लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर
4. अनिरुद्ध सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री गुमान सिंह जी, उम्र लगभग 46 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी 6, डिफेंस लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर (राज.)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. श्रीमती हर्षिता भाटी पुत्री श्री शेर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 46 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गुणवती मकान नं. 06, सुभाष चौक, हवाई अड्डा, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

<u>के साथ</u>

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 612/2022

1. पुष्पेंद्र कुमारी पत्नी स्व. श्री गुमान सिंह जी, उम्र लगभग 75 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी 6, डिफेंस लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर (राज.)।
2. करणी सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री गुमान सिंह जी, उम्र लगभग 56 वर्ष, रिद्धि सिद्धि भवन 2 ए, रक्षा लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर (राज.)।
3. श्रीमती. दरहसिनी सिंह पत्नी करणी सिंह बहती, उम्र 53 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी रिद्धि सिद्धि भवन, 2-ए, डिफेंस लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर
4. अनिरुद्ध सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री गुमान सिंह जी, उम्र लगभग 46 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी 6, डिफेंस लैब रोड, रातानाडा, जोधपुर (राज.)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. श्रीमती हर्षिता भाटी पुत्री श्री शेर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 46 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गुणवती मकान नं. 06, सुभाष चौक, हवाई अड्डा, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री गजेन्द्र पंवार

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गोरव सिंह, पी.पी.
सुश्री प्रियंका बोराना

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>05/07/2024</u>

1. यहां आपराधिक रिट याचिका संख्या 611/2022 के तहत चुनौती दी गई है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 5, जोधपुर मेट्रोपोलिटन द्वारा 01.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 (पत्नी) द्वारा CRM संख्या 205/2022 में शुरू की गई घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी समन को। दूसरी आपराधिक रिट याचिका संख्या 612/2022 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 5, जोधपुर मेट्रोपोलिटन द्वारा 01.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 (पत्नी) द्वारा CRM संख्या 204/2022 में शुरू की गई घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है। दोनों याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य आदेश के तहत किया जा रहा है।

2. आरंभ में ही शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 (दोनों याचिकाओं में) के विद्वान वकील ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता की सास, जिसे डी.वी. अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में एक पक्ष के रूप में खड़ा किया गया था, को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

3. इसलिए, उसके संबंध में इस न्यायालय के समक्ष कोई न्यायनिर्णयन वारंट नहीं है। जारी किए गए समन को रद्द किया जाता है।

4. याचिकाओं के आधार इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ कभी घर साझा नहीं किया। धारा 23 के तहत उक्त डी.वी. अधिनियम याचिका में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और समाज में पति और परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए पूरी तरह से बने बनाए प्रतीत होते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी शादी के 19 साल बाद और अपने पति और वैवाहिक रिश्तेदारों को स्वेच्छा से छोड़ने के 3-4 साल बाद डी.वी. अधिनियम की धारा 23 के तहत शिकायत दर्ज कराई। वह खुद स्वीकार करती है कि वह 2003 से 2017 तक अपने पति के साथ दिल्ली में रही, इस दौरान कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। अब इस एफआईआर में चार्जशीट दाखिल की गई है और सभी याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 498-ए, 406, 323, 354 के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। इसलिए डी.वी. अधिनियम याचिका की विषय-वस्तु का कोई आधार नहीं है और इसे प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना चाहिए।

4.1 प्रतिवादी संख्या 2 की आलीशान जीवनशैली और बड़े पैमाने पर व्यवसाय शुरू करने की उसकी इच्छा के कारण, वह अक्सर अपने पति से पैसे की मांग करती थी। हालाँकि, 2018 में, जब प्रतिवादी संख्या 2 के पति की नौकरी चली गई, तो उसने उससे खर्चों को सीमित करने और अनावश्यक खर्च से बचने का अनुरोध किया। इस छोटी सी रोक से प्रतिवादी संख्या 2 नाराज़ हो गई, जिससे उसके पति के साथ अक्सर झगड़े होने लगे। 2019 में, बिना किसी कारण के, वह स्वेच्छा से अपने पति को छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई।

4.2 डी.वी. एक्ट याचिका के तथ्य और परिस्थितियां यह साबित नहीं करती हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ कभी किसी तरह की हिंसा हुई, क्योंकि उसने कभी कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की। यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, खासकर यह देखते हुए कि याचिका उसकी शादी के 18-19 साल बाद दायर की गई थी, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से स्पष्ट इरादे का पता चलता है। उसने यह भी झूठा दावा किया कि वह अपने पति की नपुंसकता के कारण गर्भधारण करने में असमर्थ थी, जबकि सच्चाई यह है कि चिकित्सा जटिलताओं ने उसे गर्भधारण करने से रोका। अपनी शिकायत में, उसने पूरी तरह से कहानी को पलट दिया और अपने पति पर झूठा आरोप लगाया। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द किया जाना चाहिए।

5. इस आदेश के पूर्ववर्ती भाग में, शिकायतकर्ता (पुष्पेंद्र कुमारी) की वरिष्ठ नागरिक 75 वर्षीय विधवा सास को जारी समन, जिसे डी.वी. अधिनियम के तहत

मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में एक पक्ष के रूप में खड़ा किया गया था, निरस्त माना जाएगा।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, मेरा यह मत है कि शेष याचिकाकर्ताओं के संबंध में, यह उचित होगा कि इस याचिका में निर्धारित आधारों पर पहले विचार किया जाए तथा उन पर इस स्तर पर टिप्पणी करने अथवा पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के बजाय विद्वान निचली अदालत द्वारा निर्णय लिया जाए। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

7. तथापि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के मौखिक अनुरोध पर, यह देखते हुए कि विवाद मुख्य रूप से पति और पत्नी के बीच है, यह निर्देश दिया जाता है कि विद्वान निचली अदालत याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 की उपस्थिति पर जोर दिए बिना मामले में आगे बढ़े, जो शिकायतकर्ता के बहनोई और भाभी (पति की बहन) बताए गए हैं। यदि निचली अदालत चाहे तो शिकायतकर्ता का पति उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

8. तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।